


उनवान:- जयराम वनाम बाबूलाल वगै०
दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा

दिनांक फर्द अहकाम

4/25

वादी की और से श्री सुरेश चन्द शर्मा एडवोकेट ने दावा बावत स्थायी निषेधाज्ञा के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया, अवलोकन किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र से बाहर के रजिस्टर्ड डाक द्वारा नोटिस से तलब कर पत्रावली दिनांक 30.05.2025 को पेश हो।

1707
23/5/25



(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

4/25

~~पत्रावली पेश हुई। पत्रावली वादी वकील के द्वारा पत्र के दिनांक 30/5/2025 के तलबी की गई। वादी वकील ने इस पत्र के द्वारा पत्र पेश किया की इस पत्रकारण के मध्य आपसी समझौता हो गया है। मूल्कावे को खतना नहीं चाहिए है। मुफ्तमा खतनी नहीं चयना चाहिए है। दावा की स्वारीज किया जाये।~~

Not Presh
1) 9-1-25
2) 28/5/25

वादी वकील के द्वारा पत्र का अवलोकन किया वादी वकील ने दावे की पत्रावली में वादी वकील ने नोटिस बायल उपखण्ड डी.ए. मुद्राकारण के वादी वकील का द्वारा पत्र स्विकार किया जा रहा है। पत्रावली के द्वारा मुद्राकारण डी.ए. नमक के काम कर दावे उपर है 